



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-25.07.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना रोहनिया में सड़क दुर्घटना के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 2000/- रु0 का अर्थदण्ड ।

थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-927/2017 धारा 279/337/338 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त रवि कुमार पुत्र कोमल निवासी मड़ांव थाना रोहनिया जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक रोहनिया व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-24.07.2024 को माननीय न्यायालय स्पे0 CJM जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त रवि कुमार उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 279 भा0द0वि0 में न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 337 भा0द0वि0 में न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रु0 अर्थदण्ड तथा धारा 338 भा0द0वि0 में न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।